Presented by – Mr. Gaurav Singh Karki Pol.Science Lecturer S.D.S. G.I.C. Pithoragarh

CLASS- 11

संघवाद (FEDERALISM)

शक्तियों के केन्द्रीयकरण अथवा वितरण के आधार पर तथा केन्द्रीय तथा स्थानीय शासनों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक राज्यों में किया जाता है।

एकात्मक व्यवस्था में सरकार की समूची शासन शक्ति संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार को दे दी जाती है। स्थानीय शासन न केवल अपने सारे अधिकार और स्वायत्तता ही केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करते हैं बल्कि उनका अस्तित्व भी केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।

संघात्मक शासन एकात्मक शासन के ठीक उलट है संघात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है। जिसके द्वारा राज्यों में संविधान के द्वारा ही केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। इसे संघात्मक शासन कहते हैं।

संघीय को अंग्रेजी में Federal (फैडरल) कहते हैं जो Faderation से बना है। फैडरेशन शब्द लैटिन भाषा के Foedus (फोएडस) से बना है। जिसका अर्थ समझौता है। इस प्रकार विभिन्न राज्य इकाईयों मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समझौते द्वारा एक केन्द्रीय इकाई या केन्द्रीय सरकार का निर्माण करते हैं इसे इन इकाई राज्यों का संघ कहा जाता है।

डॉ. गार्नर कहते हैं कि 'संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने–अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संसद का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती हैं।

संघात्मक शासन की विशेषताऐं– संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं–

1. प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग– संघात्मक शासन में प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है। अर्थात संघात्मक राज्य के अन्तर्गत जो राज्य इकाईयॉ होती हैं उन्हें अपनी सत्ता केन्द्रीय सरकार से प्राप्त न होकर संविधान से प्राप्त होती हैं। ये इकाईयॉ किसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार के अधीन न होकर केन्द्रीय सरकार के समान ही वैधानिक महत्व की होती हैं।

2. शक्तियों का विभाजन– संघीय शासन में संविधान द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय केन्द्रीय सरकार को और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को दिये जाते हैं।

3. संविधान की सर्वोच्चता– संघीय शासन के अन्तर्गत संविधान को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है। संविधान ही केन्द्रीय सरकारों और प्रान्तीय सरकारों की शक्तियों का स्रोत होता है। दोनों सरकारें संविधान के अनुकुल ही कार्य कर सकती हैं।

4. स्वतन्त्र न्यायपालिका– संघात्मक शासन में एक स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा सर्वोच्च न्यायपालिका का होना आवश्यक है। केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों के बीच होने वाले विवादों व संविधान की व्याख्या को लेकर होने वाले गतिरोधों को स्वतन्त्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष रूप से सुलझा सकती है।

5. लिखित और कठोर संविधान– लिखित संविधान होने पर शक्तियों का विभाजन केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों में निश्चित और स्पष्ट होगा। और कठोर संविधान होने पर कोई भी सरकार संविधान में आसानी से व इच्छानुसार परिवर्तन नहीं कर सकती है।

6. दोहरी नागरिकता– संघ राज्य के अन्तर्गत दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार जिसमें वह रहता है दोनों का नागरिक होता है और दोनों में भक्ति रखता है।

भारत में संघवाद

भारत एक विशाल देश है जहॉ भिन्न–भिन्न धर्म,जाति, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। इस कारण संविधान निर्माण से पूर्व ही बहुत से लोग इस बात से सहमत थे कि देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाये। आजादी के बाद भारत में संघात्मक

शासन व्यवस्था को अपनाया गया। भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की संघात्मक प्रणाली से हुआ है किन्तु भारत ने इस व्यवस्था को अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। भारत संघीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस तरह संविधान विविधता को मान्यता देते हुए एकता पर भी बल देता है। इसलिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था पूर्ण रूप से संघात्मक न होकर इसमें एक एकात्मक शासन के भी गुण पाये जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इसलिए इसे अर्द्धसंघ संविधान की संज्ञा भी दी जाती हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 (एक) के अनुसार भारत राज्यों का संघ (यूनियन) होगा। भारत के संविधान में फैडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय शासन के संघात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं–

1. शक्ति विभाजन– संघीय राज्य की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी केन्द्रीय सरकार (संसद) और राज्य सरकारों (विधानमंडल) के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में शक्ति के विभाजन को लेकर तीन सूचियों का उल्लेख किया गया है।

क–संघ सूची– संघ सूची के अन्तर्गत 99 विषय दिये गये हैं जिसमें कानून बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है। इसमें मुख्यतः देश की प्रतिरक्षा, बैंक, रेलवे, परमाणु ऊर्जा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गये हैं।

ख– राज्य सूची– राज्य सूची के अन्तर्गत 61 विषय हैं जिसमें कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं। इसके अर्न्तगत पुलिस व्यवस्था, स्थानीय शासन, कृषि, आदि विषयों को शामिल किया गया है।

ग– समवर्ती सूची– समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इन विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने की अनुमति है किन्तु टकराव की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानून को वरियता दी जायेगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, वन, और न्याय प्रशासन आदि विषय हैं।

2. लिखित और कठोर संविधान– भारत का अपना लिखित संविधान है इसमें केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान एक कठोर संविधान भी है। क्योंकि संविधान के अनेक प्रावधानों में बिना राज्यों की अनुमति के संसोधन नहीं हो सकता।

3. संविधान की सर्वोच्चता– भारत की शासन व्यवस्था में संविधान को सबसे ऊपर माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति,संस्था,सरकारी कर्मचारी व सरकार संविधान में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही कार्य कर सकता है। कोई भी संविधान के प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता।

4. स्वतन्त्र न्यायपालिका– भारतीय संविधान द्वारा एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जो राज्यें के आपसी झगड़े निपटाने, निर्णय सुनाने तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए स्वतन्त्र है।

5. दोहरी शासन प्रणाली– संघीय शासन की विशेषता दोहरी शासन प्रणाली है। भारत में भी केन्द्र में केन्द्रीय सरकार और राज्यों में प्रान्तीय सरकारें शासन का संचालन करती हैं।

भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण– संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों के होते हुए भी भारतीय संविधान को पूर्ण संघीय संविधान नहीं माना गया है। क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक होने के प्रमाण हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित व्यवस्थायें हैं जो उसे एकात्मक रूप देती हैं।

1. एक संविधान– भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए एक ही संविधान है। अपवाद जम्मू कश्मीर राज्य है। जबकि अमेरीका और स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में संघात्मक प्रणाली है तथा व राज्यों के पृथक संविधान हैं।

2. अवशिष्ट शक्ति– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र सरकार को प्रदान की गई हैं। जबकि अन्य संघात्मक राज्यों में यह प्रान्तों को प्रदान की गई हैं।

3. संविधान में संशोधन– भारतीय संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकारों को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं।

4. शक्तियों का विभाजन– भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में है। संघ सूची में राज्य सूची की अपेक्षा अधिक विषय अंकित किये गये हैं। जहाँ संघ सूची में 99 विषय हैं वहीं राज्य सूची में 61 विषय अंकित किये गये हैं।

5. संकटकाल में एकात्मक स्वरूप– भारतीय संविधान में संकटकाल में देश का संघात्मक ढाँचा एकात्मक में बदल जाता है। संविधान के अनुच्छेद 352,356और 360 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है जबकि अन्य संघात्मक राज्यों में इसके लिए संशोधन की आवश्यकता पड़ती है।

6. एकल नागरिकता– भारत में अन्य संघात्मक राज्य की तरह दोहरी नागरिकता की जगह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत का नागरिक प्रान्तों से अलग से नागरिकता प्राप्त न करके केवल भारत का नागरिक कहलाता है।

7. संघ से अलग होने का अधिकार– भारत के किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि अन्य संघात्मक राज्यों में यह अधिकार राज्यों के पास सुरक्षित है।

इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की संघात्मक प्रणाली पूर्ण रूप से संघात्मक न होकर एक अर्द्धसंघात्मक प्रणाली है। यह एकात्मक और संघात्मक प्रणाली का मेल है।

परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न

1. संघात्मक शासन प्रणाली क्या है ?
2. एकात्मक शासन प्रणाली क्या है ?
3. संघात्मक शासन प्रणाली क्या है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
4. भारतीय शासन प्रणाली को अर्द्धसंघात्मक शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है ?